रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30052022-236115
CG-DL-E-30052022-236115

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 382]	**नई दिल्ली, सोमवार, मई 30, 2022/ज्येष्ठ 9, 1944**
No. 382]	**NEW DELHI, MONDAY, MAY 30, 2022/JYAISHTHA 9, 1944**

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2022

सं. 17/2022-सीमाशुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 403(अ).—जहां कि यूरोपीय संघ, कोरिया गणराज्य या थाईलैंड (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "1500 सीरीज और 1700 सीरीज का स्टाइरीन बुटाडीन रबर (एसबीआर)" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची की उपशीर्ष 4002 19 के अंतर्गत वर्गीकृत है, के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 43/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 30 अगस्त, 2017, जिसे सा.का.नि. 1123 (अ), दिनांक 30 अगस्त, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को आगे जारी रखने के मामले में उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 23 के अनुपालन में प्रारंभिकीकरण अधिसूचना संख्या 7/31/2021-डीजीटीआर, दिनांक 10 फरवरी, 2022, जिसे दिनांक 10 फरवरी, 2022 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, के तहत विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा समीक्षा का कार्य शुरू किया गया है और उन्होंने उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार उक्त प्रतिपाटन शुल्क को आगे भी जारी रखने के लिए अनुरोध किया है।

अत: अब उक्त नियमावली के नियम 18 और 23 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 43/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 30 अगस्त, 2017, जिसे सा.का.नि. 1123 (अ), दिनांक 30 अगस्त, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, इसमें निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात, निम्नलिखित पैराग्राफ को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"3. पैराग्राफ 2 में निहित किसी भी बात के बावजूद, इस अधिसूचना के तहत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क 31 अक्तूबर, 2022 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, यदि इसके पहले इसे वापस नहीं ले लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो, लागू रहेगा।"।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/133/2022–टीओ(टीआरयू-I)-सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 43/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 30 अगस्त, 2017, जिसे सा.का.नि. 1123(अ), दिनांक 30 अगस्त, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May, 2022

No. 17/2022-Customs (ADD)

G.S.R. 403(E).—Whereas, the designated authority *vide* initiation notification No. 7/31/2021– DGTR dated 10th February, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 10th February, 2022, has initiated review in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act) read with rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of "Styrene Butadiene Rubber (SBR) of 1500 series and 1700 series" (hereinafter referred to as the subject goods) falling under sub-heading 4002 19 of the First Schedule to the Customs Tariff Act originating in or exported from European Union, Korea RP or Thailand (hereinafter referred to as the subject countries), imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 43/2017-Customs(ADD), dated 30th August, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1123(E), dated the 30th August, 2017, and has requested for extension of the said anti-dumping duty in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 23 of the said rules, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 43/2017-Customs(ADD), dated the 30th August, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1123(E), dated the 30th August, 2017, namely:

In the said notification, after paragraph 2, the following paragraph shall be inserted, namely-

"3. Notwithstanding anything contained in paragraph 2, the anti-dumping duty imposed under this notification shall remain in force up to and inclusive of the 31st October, 2022, unless revoked, superseded or amended earlier.".

[F. No. CBIC-190354/133/2022-TO(TRU-I)-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification No.43/2017-Customs, dated the 30th day of August, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1123(E)., dated the 30th day of August, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.05.30 22:20:58 +05'30'